क्रम-संख्या 159 (ग)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

इलाहाबाद, बृहस्पतिवार, 24 जुलाई, 2014 ई0
(श्रावण 2, 1936 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-1
संख्या 1285/18-1-2014-25(39)/2011 टी0सी0-1
लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2014 ई0

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0-59

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 2014

भाग एक-सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

3-परिभाषायें-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा से है ;

(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् या आमेलन से की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो-संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग-(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है : परन्तु :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

5-भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट 'ख' में दर्शाये गये स्रोतों से की जायेगी।

6-आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथ संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपू सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार-अर्हतायें

7-राष्ट्रीयता-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या कि पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन कि हो ;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु अग्रतर यह कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8-शैक्षिक अर्हतायें-सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी परिशिष्ट 'ख' में पद के सम्मुख विनिर्दिष्ट अर्हतायें धारण करता हो।

9-अधिमानी अर्हता-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने/जो-

(एक) नियम 8 में निर्दिष्ट किसी पद के सम्बन्ध में अधिमानी अर्हता रखता हो ; या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10-आयु-सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11-चरित्र-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12-वैवाहिक प्रास्थिति-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक जीवित पत्नी हो ;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13-शारीरिक स्वास्थ्यता-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसा शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण कर ले ;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

14-रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां आयोग को सूचित की जायेंगी।

योगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए ग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

ती भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया

खित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, तियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में ह पहुंचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में ।

ायोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में जितना वह उचित समझे, अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए संस्तुत या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

यन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार मेति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड)4 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

ी-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को के लिए नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा ;

तु यह कि जहां दो या अधिक पोषक संवर्ग-

(क) भिन्न-भिन्न वेतनमान के हों तो उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ख) समान वेतनमान के हों, तो अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम पात्रता सूची में रखे जायेंगे। किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो ऐसी स्थिति अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

। चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह झे तो अभ्यर्थियों का साक्षत्कार भी कर सकती है।

) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जाती है, ार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

-आयोग के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार येष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथा संशोधित "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) 1970," के अनुसार की जायेगी।

8-संयुक्त चयन सूची-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें, तो एक संयुक्त तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, ा नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः-नियुक्ति, परीवीक्षा, स्थायीकरण व ज्येष्ठता

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो वहां नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी, जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नति किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

20-परिवीक्षा-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने पर व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसरण में परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21-स्थायीकरण-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय ;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22-ज्येष्ठता-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन इत्यादि

23-वेतनमान-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

24-परिवीक्षा अवधि में वेतन-(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों, पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

25–पक्ष समर्थन–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफ़ारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा।

26–अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27–सेवा की शर्तों में शिथिलता–जंहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

28–व्यावृत्ति–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4(2) और 23(2) देखिये)

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1.	उप निदेशक उद्योग जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं-				
(एक)	उप निदेशक उद्योग	13	01	14	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 6,600/-
(दो)	महाप्रबन्धक, (जिला उद्योग केन्द्र)	-	71	71	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 6,600/-
2.	सहायक निदेशक उद्योग जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं-				
(एक)	सहायक निदेशक उद्योग	24	-	24	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 5,400/-
(दो)	प्रबन्धक	-	245	245	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 5,400/-

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4(2) और 23(2) देखिये)

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1.	उप निदेशक उद्योग जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं-				
(एक)	उप निदेशक उद्योग	13	01	14	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 6,600/-
(दो)	महाप्रबन्धक, (जिला उद्योग केन्द्र)	-	71	71	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 6,600/-
2.	सहायक निदेशक उद्योग जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं-				
(एक)	सहायक निदेशक उद्योग	24	-	24	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 5,400/-
(दो)	प्रबन्धक	-	245	245	वेतन बैण्ड-3 (रु0 15,600-39,100) और ग्रेड वेतन रु0 5,400/-

परिशिष्ट 'ख'

(नियम 5 और 8 देखिये)

क्र0	पद का नाम	भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हतायें
1.	उप निदेशक, उद्योग जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं- (एक) उप निदेशक, उद्योग (दो) महाप्रबन्धक (जिला उद्योग केन्द्र)	परिशिष्ट 'क' के क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	
2.	सहायक निदेशक उद्योग, जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं- (एक) सहायक निदेशक, उद्योग (दो) प्रबन्धक	(एक) चालीस प्रतिशत, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) साठ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (क) उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा के वेतन बैण्ड-2 (रु0 9,300-34,800) और ग्रेड वेतन रु0 4200/- में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ; (ख) उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा के वेतन बैण्ड-2 (रु0 9,300-34,800) और ग्रेड वेतन रु0 4200/- में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ; (ग) उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा के वेतन बैण्ड-2 (रु0 9,300-34,800) और ग्रेड वेतन रु0 4600/- में मौलिक रूप से नियुक्त अपर सांख्यकीय अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ; आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी), सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) और अपर सांख्यकीय अधिकारी में से ऐसी पदोन्नति का अनुपात क्रमशः 6:1:1 होगा।	**अनिवार्य**-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। **अभिमानी**-व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article, 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1285/18-1-2014-25(39)/2011-T.C.-1,** dated July 24, 2014 :

Miscellaneous

No. 1285/18-1-2014-25(39)/2011 T.C.-1

Dated,: Lucknow, July 24, 2014

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article, 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Industries Service :

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIES SERVICE RULES, 2014

PART I–*General*

1. Short title and commencement--(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Industries Service Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the Service Definitions--The Uttar Pradesh Industries Service is State Service comprising Gruoup "A" and Group "B" posts.

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(*a*) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (reservation for Schedule Caste, Schedule Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 ;

(*b*) "Appointing Authority" means Governor ;

(*c*) "Citizen of India" means a persons who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(*d*) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(*e*) "Constitution" means the Constitution of India ;

(*f*) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh ;

(*g*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(*h*) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service ;

(*i*) "Other Backward Classes of citizens" means the Backward Classes of citizens specified in Schedule 1 of the Act as amended from time to time ;

(*j*) "Service" means the Uttar Pradesh Industries Service ;

(*k*) "Substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions, issued by the Government ;

(*l*) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART II–*Cadre*

4. **Cadre of service**--(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix 'A' :

Provided that-

(*i*) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation ; or

(*ii*) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III–*Recruitment*

5. Source of recruitment--(1) Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the sources as shown in Appendix-'B'.

6. Reservation--Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV–*Qualifications*

7. Nationality--(1) A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(*a*) a citizen of India ; or

(*b*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(*c*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such candidate in service beyond a pereiod of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A candidate in whose case certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic qualification--A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the qualifications specified against the post in the Appendix 'B'.

9. Preferential Qualification--A candidate who has :

(*i*) the preferential qualification in respect of a post referred in rule 8 ; or

(*ii*) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ; or

(*iii*) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps ;

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age--A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character--The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for empolyment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital status--A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical fitness--No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass a medical examination by a Medical Board :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V–*Procedure for Recruitment*

14. Determination of vacancies--The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to the Commission.

15. Procedure for direct recruitment on the basis of competitive examination--(1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidate as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

16. Procedure for recruitment by promotion through the Selection Committee--(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE--Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes of the Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The Appointing Authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be consider proper :

Provided that where there are two or more feeding cadres-

(*a*) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list.

(*b*) bearing same pay scale, the names of the candidates shall be arranged in the eligibility lists in order of their date of substantive appointment in their respective cadres. But if the date of substantive appointment of two or more candidates is the same, then in such situation, the candidate who is older in age shall be placed higher in the eligibility list.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidate also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the Appointing Authority.

17. Procedure for recruitment by promotion through the Commission--(1) Recruitment by promotion through the Commission shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

18. Combined select list--If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART VI--*Appointment, Probation, Confirmation and Seniority*

19. Appointment--(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, 17 or 18, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order referred to in Rule 18.

20. Probation--(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be plac probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013.

(2) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the peri probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use o opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) s not be entitled to any compensation.

(4) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be ta into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation--(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(*a*) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(*b*) his integrity is certified, and

(*c*) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servan Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 c those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall b deemed to be the order of confirmation.

22. Seniority--The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART VII–PAY ETC.

23. Scales of pay--(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given in the Appendix 'A'.

24. Pay during probation--(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationery period and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII–OTHER PROVISIONS

25. Canvassing--No recommendation, either written or oral, other than those required under th rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candida to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulation of other matters--In regard to the matters not specifically covered by these rules special order, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orde applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxtion from the conditions of service--Where the State Government is satisfied that th operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes und hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to th case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to su conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

28. Savings--Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other spec categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in th regard :

APPENDIX 'A'

[*SEE RULES* 4 (2) *and* 23 (2)]

Serial no.	Name of Post	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	Deputy Director of Industries, which includes the following posts :				
	(*i*) Deputy Director of Industries.	13	01	14	Pay Band-3 (Rs. 15,600-39,10(and Grade Pay Rs. 6,600/-
	(*ii*) General Manager (District Industries Centre).	-	71	71	Pay Band-3 (Rs. 15,600-39,10(and Grade Pay Rs. 6,600/-
2	Assistant Director of Industries, which includes the following posts :				
	(*i*) Assistant Director of Industries.	24	-	24	Pay Band-3 (Rs. 15,600-39,10(and Grade Pay Rs. 5,400/-
	(*ii*) Manager.	-	245	245	Pay Band-3 (Rs. 15,600-39,10 and Grade Pay Rs. 5,400/-

APPENDIX 'B'

[*SEE RULES* 5 *and* 8]

Serial no.	Name of Post	Source of recruitment	Qualifications prescribed for direct recruitment
1	Deputy Director of Industries, which includes the following posts : (*i*) Deputy Director of Industries. (*ii*) General Manager (District Industries Centre).	By promotion through the Selection Committee from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 2 of Appendix 'A' and who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.	
2	Assistant Director of Industries, which includes the following posts : (i) Assistant Director of Industries. (ii) Manager.	(*i*) Forty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of competitive examination. (*ii*) Sixty per cent by promotion through the Commission from amongst : (*a*) Substantively appointed Assistant Managers (Non-Technical) in Pay Band-2 (Rs. 93,00-34,800) and Grade Pay Rs. 4,200/-of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service who have completed eigth years service as such on the first day of the year of recruitment. (*b*) Substantively appointed Assistant Managers (Technical) in Pay Band-2 (Rs. 93,00-34,800) and Grade Pay Rs. 4,200/- of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service who have completed eigth years service as such on the first day of the year of recruitment. (*c*) Substantively appointed Additional Statistical Officer in Pay Band-2 (Rs. 93,00-34,800) and Grade Pay Rs. 4,600/- of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service who have completed eigth years service as such on the first day of the year of recruitment. The ratio of such promotion among Assistant Manager (Non-Technical), Assistant Manager (Technical) and Additional Statistical Officer shall be 6:1:1 respectively.	*Essential* A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. *Preferential* Postgradute Degree in Business Administration.

By order,

MAHESH KUMAR GUPTA,

Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–17 असाधारण गजट–19–08–2014–1097 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / आफसेट)।

APPENDIX 'B'

[*SEE RULES* 5 *and* 8]

Serial no.	Name of Post	Source of recruitment	Qualifications prescribed for direct recruitment
1	Deputy Director of Industries, which includes the following posts : (*i*) Deputy Director of Industries. (*ii*) General Manager (District Industries Centre).	By promotion through the Selection Committee from amongst persons who are substantively appointed to the posts mentioned at serial number 2 of Appendix 'A' and who have completed seven years service as such on the first day of the year of recruitment.	
2	Assistant Director of Industries, which includes the following posts : (i) Assistant Director of Industries. (ii) Manager.	(*i*) Forty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of competitive examination. (*ii*) Sixty per cent by promotion through the Commission from amongst : (*a*) Substantively appointed Assistant Managers (Non-Technical) in Pay Band-2 (Rs. 93,00-34,800) and Grade Pay Rs. 4,200/-of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service who have completed eigth years service as such on the first day of the year of recruitment. (*b*) Substantively appointed Assistant Managers (Technical) in Pay Band-2 (Rs. 93,00-34,800) and Grade Pay Rs. 4,200/- of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service who have completed eigth years service as such on the first day of the year of recruitment. (*c*) Substantively appointed Additional Statistical Officer in Pay Band-2 (Rs. 93,00-34,800) and Grade Pay Rs. 4,600/- of the Uttar Pradesh Industries Department Subordinate Service who have completed eigth years service as such on the first day of the year of recruitment. The ratio of such promotion among Assistant Manager (Non-Technical), Assistant Manager (Technical) and Additional Statistical Officer shall be 6:1:1 respectively.	*Essential* A Bachelor's Degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. *Preferential* Postgradute Degree in Business Administration.

By order,

MAHESH KUMAR GUPTA,

Principal Secretary.

एस0यू0पी0–17 असाधारण गजट–19–08–2014–1097 प्रतिया–(डी0टी0पी0/आफसेट)।